



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय



पटना-800014

पत्रांक-8 बजट (1) 14/2026 50/2026 आ०

दिनांक- 14/07/2026

प्रेषक

श्रीकान्त शास्त्री, मा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03, पशुपालन लघु शीर्ष 277 शिक्षा, उपशीर्ष 0001 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2415032770001 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 65,00,000/- (पैंसठ लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-3131 दिनांक 19.06.2026 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 24(नि०) आ० दिनांक 30.06.2026 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 65,00,000/- (पैंसठ लाख) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र०सं०	विषय शीर्ष	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	31.04- सहायक अनुदान- वेतन	19,66,33,000	0	19,66,33,000
2	31.05- सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों का निर्माण	0	65,00,000	65,00,000
3	31.06- सहायक अनुदान- गैर वेतन	4,88,56,000	0	4,88,56,000
योग- 02-2415.03.277.0001		24,54,89,000	65,00,000	25,19,89,000
रुपये 65,00,000/- (पैंसठ लाख) मात्र।				

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं० -2 के अधीन मुख्य शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03, पशुपालन लघु शीर्ष 277 शिक्षा, उपशीर्ष 0001 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2415032770001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962

ई-मेल: dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd



4. सहायक अनुदान-गैर वेतन में वर्तमान में उपबंधित राशि का उपयोग पेंशन भुगतान हेतु किया जाय।
5. कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करा लिया जाय।
6. संगत योजनान्तर्गत 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार बिहार पटना से अवश्य करा लिया जाय।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक- 09.03.2026 एवं 314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय। इस राशि का व्यय बजटीय उपबंध के अन्तर्गत समय समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी० भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1)14/2026 प०पा० 50 (2) आ०/

पटना-14,

दिनांक-14/09/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी० ए०-57-96 - 97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।